

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
185/17	17.07.2017	15.03.2018

अनुवान

1. मंगल पुत्र बोदा
2. चन्दगी पुत्र बोदा
3. तेजसिंह पुत्र बंशी
4. राजेश
5. महासिंह पुत्रान बंशी
6. ओमप्रकाश
7. राजेन्द्र
8. सुरेन्द्र
9. बिजेन्द्र पुत्रान बुद्धा
10. सतबीर
11. इन्द्र पुत्रान भूल्ली जातियान चमार निवासीयान रानोठ तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0

प्रतिवादी

दावा-इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थिति:- 1. श्री सरजीत सिंह चौधरी वकील-वादी

--:पर्चा डिक्री:-


दिनांक:- 15.03.2018

वादीगण की ओर से श्री सरजीत सिंह चौधरी एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.03.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

आराजी ख0न0 1664/1.20 है0 वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर के 1/2 भाग में अंकित शिकमी के अंकन को दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में दुरुस्त कराये जाने के संबंध में वादीगण साबित करने में असफल रहने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज योग्य पाये जाने पर, सही दस्तावेजों के साथ पुनः दर्ज करने की स्वतंत्रता के साथ, वाद वादी खारिज किया जाता है।
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 15.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर)